

न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के  
अतिरिक्त न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी जिला अशोकनगर, (म.प्र.)  
 (समक्ष – सैफी दाऊदी)

अपील क. 29ए/17  
संस्थित दिनांक 09.03.17

श्रीमती मुन्नीबाई पुत्री कलुआ पत्नि रामसिंह  
 जाति अहिरवार आयु 47 वर्ष, पेशा खेती,  
 निवासी ग्राम महोली तहसील चंदेरी जिला  
 अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थी/वादी

### विरुद्ध

1. जिला वन मंडल अधिकारी, वन मंडल जिला अशोकनगर म.प्र.
2. डिप्टी रेंजर, रेंज चौकी महोली जिला अशोकनगर म.प्र.
3. मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर म.प्र.
4. पटवारी ग्राम महोली तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

-----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी/वादी द्वारा  
 प्रत्यर्थी द्वारा

:— श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
 :— श्री मुकेश राजपूत, शासकीय अधिवक्ता।

—:: आदेश ::—

(आज दिनांक ..... को पारित किया गया)

1. अपीलार्थी श्रीमती मुन्नीबाई “जिसे इसमें इसके पश्चात् वादी संबोधित जायेगा” ने वर्तमान अपील धारा 96 सह पठित आदेश 41 नियम 1 सी.पी.सी. के अंतर्गत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 चंदेरी (श्री साजिद मोहम्मद) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 68ए/16 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.17, जिसके अधीन वादी द्वारा प्रस्तुत वाद नामंजूर किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार रहे हैं कि ग्राम महोली तहसील चंदेरी स्थित सर्वे क्रमांक 161/2/6 रकवा 0.500 हे. भूमि जिसका नक्शा वाद पत्र संलग्न कर भूमि को लाल स्याही से चिह्नित किया गया है वादग्रस्त भूमि होकर वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। इस भूमि पर वादी के पिता काबिज रहे हैं, उन्हें लगभग 50 वर्ष पूर्व तहसील चंदेरी से भूमि स्वामी स्वत्व का पट्टा हुआ था, इसके पश्चात् उन्होंने भूमि को कृषि लायक बनाया। वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्यधारी कलवा का कोई पुत्र नहीं होने से उन्होंने अपने जीवनकाल में ही वादी की शादी के पश्चात् उसे ग्राम महोली अपने पास बुला लिया और वादी अपने पिता के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्यधारी होकर कृषि करती चली आ रही है वर्तमान में भी मौके पर उसी का आधिपत्य है।

3. वादग्रस्त भूमि के मौके पर पक्की मैदानी बनी हुई है इस भूमि के तीन तरफ अन्य कास्तकारों की कृषि भूमि लगी हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से पचास वर्षों से कभी भी वादी के पिता एवं वादी को वादग्रस्त भूमि पर खेती करने से नहीं रोका। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के मन में बदनियति आ जाने से दिनांक 24.08.14 से वे वादग्रस्त भूमि को वन भूमि बता रहे हैं और वादी के स्वत्व से इंकार करते हैं। वादी ने वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराने के लिए विधिवत आवेदन दे दिया, किन्तु वे वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में व्यवधान उत्पन्न कर, वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल कर देने के हर संभव प्रयास में हैं।

4. वादी और उसके परिवारजन खेत जोतने जाते हैं तो प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी वादग्रस्त भूमि पर आकर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उन्होंने वन अमले ने दिनांक 24.08.14 को वादग्रस्त भूमि पर आकर वादी की फसल जबरन उजड़वा दी और मना करने पर वादी तथा उसके पति को बंद कराने की धमकी देने लगे। दिनांक 10.06.15 को भी वादी खेत जोतने गयी थी, तब प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 व उसके अधीनस्थ कर्मचारीगण एकमत होकर वादग्रस्त भूमि पर आ गये और भूमि को वन विभाग की बताकर धमकी दी कि वादी ने यदि खेत जोता व आगामी फसल बोई तो ट्रेक्टर जप्त कर लेंगे और उन्हें बंद करा देंगे।

5. वादकारण दिनांक 24.08.14 को एवं पश्चात् 10.06.15 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उद्भूत हुआ है। वादी ने धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र भी प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को प्रेषित किया, जिसकी वैधानिक अवधि पूर्ण नहीं हुई। वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में जबरन व्यवधान उत्पन्न कर उसे व उसके परिवार वालों को फसल बोने के लिए खेत जोतने नहीं दे रहे हैं और उन्हें बंद कराने की धमकी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में सूचना पत्र की विधिक अवधि पूर्ण

होने के पूर्व भी धारा 80'2' सीपीसी के अधीन वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है।

6. वादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि होकर राजस्व विभाग द्वारा वादी के पिता कलुआ को पट्टा दिया गया था। राजस्व विभाग द्वारा ही वादी से लगान आदि लिया जाता है और वादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग की सीमा है और वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा सीमा आदि डालने की कोई अनुमति नहीं दी गयी है, इस कारण प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं 4 को पक्षकार बनाया गया है।

7. न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता एवं वाद मूल्यांकन तथा न्याय शुल्क अदायगी का अभिवचन कर प्रार्थित सहायता के संबंध में वाद स्वीकार कर, जय पत्र पारित किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी थी।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं 4 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया था, प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 वन विभाग की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि, वादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 89 मझोली वीट के अंतर्गत आती है और वन विभाग में सर्वे क्रमांक प्रचलन में नहीं है। वादग्रस्त भूमि वन भूमि है। राजस्व विभाग को वन भूमि पर पट्टा प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था। राजस्व विभाग ने पट्टा प्रदान करते समय वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। वादी वादग्रस्त भूमि पर कभी काबिज नहीं रही है और वन विभाग की उपस्थिति में उसने कभी भूमि का सीमांकन भी नहीं कराया है।

9. प्रतिवादीगण ने वादी की फसल कभी नहीं उजाड़ी। वादी को कोई वाद कारण किसी दिनांक को उत्पन्न नहीं हुआ। वाद का मूल्य अनुसार न्याय शुल्क वादी ने अदा नहीं किया है। वादी द्वारा वन विभाग द्वारा बोये गये बीच नष्ट कर देने से विभाग को लगभग पचास हजार रुपये की क्षति कारित हुई प्रस्तुत वाद साव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

10. वर्तमान अपील वादी की ओर से इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में माना था। इसकी कोई अपील प्रत्यर्थीगण ने नहीं की है। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि वादी के भूमि स्वामी नाम पर अंकित थी और उसे प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 द्वारा भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदत्त की गयी थी। इसका कोई खंडन प्रत्यर्थी क्रमांक 3 एवं 4 ने पेश नहीं किया है और न ही प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से कोई खंडनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे वादी के दस्तावेज अखंडनीय है। इसके उपरान्त भी वाद नामंजूर करने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है। वादी के पिता के नाम पट्टा पचास वर्ष पूर्व का होने से वह पट्टा प्राप्त नहीं हो सका किन्तु राजस्व रिकार्ड में कलुआ स्वामी तथा आधिपत्यधारी रहा है।

प्रत्यर्थीगण ने भी वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का कब्जा नहीं मानने में विधिक त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने वादी के दस्तावेज एवं साक्ष्य का गलत निष्कर्ष निकाल कर वाद नामंजूर करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अवधि, न्यायशुल्क व क्षेत्राधिकारिता का अभिवचन अपील ज्ञापन में समाहित कर व अन्य अभिवचन समाहित कर अपील स्वीकार करते हुए आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर वादी के हित में जयपत्र पारित किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

11. इस प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि—

**—: विचारणीय प्रश्न :—**

1. क्या अपील प्रक्रम पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अपील के निराकरण हेतु उचित दस्तावेज होकर ग्राह्य योग्य हैं ?
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.17 विधि अनुकूल नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है ? “यदि हां तो”
3. सहायता एवं व्यय ।

**—: साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष :—**

12. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से वादाधार दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए रामनिवास वा.सा.1 एवं मुन्नीबाई वा.सा.2, हरपाल वा.सा.3 का अभिकथन अंकित कराया गया है, जबकि प्रतिवादी की ओर से दौलतराम प्रति.सा.1, प्यारेमोहन सिंह धाकड़ प्रति.सा.2 का अभिकथन अंकित कराया गया है।

13. अपील प्रक्रम पर अपीलार्थी की ओर से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन पत्र मय दस्तावेज इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी/अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सके थे और काफी प्रयास के बाद वादी को दिनांक 25.02.18 को दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिस अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाये अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

14. आवेदन पत्र का प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक विरोध प्रस्तुत किया गया है।

15. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व दस्तावेज होकर अपील निराकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज होना प्रकट होने से उक्त दस्तावेज आवेदन स्वीकार कर

अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाते हैं।

16. अपीलार्थी की ओर से अपना अवलंबन न्याय दृष्टांत **माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस बनाम मेसर्स विरला लिमिटेड ग्वालियर तथा अन्य 2013 राजस्व निर्णय 413 तथा कलादेवी उर्फ कमला देवी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2012 राजस्व निर्णय 269 तथा राममिलन बनाम खेलू और अन्य 2009 राजस्व निर्णय 314 तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 38** के उपबंध पर अवलंबित कर अपील मेमो में अभिवाचित तथ्यों पर भी अपना अवलंबन व्यक्त किया गया है, जबकि प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को विधि अनुकूल रूप से पारित होना अभिकथित कर अपील नामंजूर किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष तथा अपील प्रक्रम पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अपीलार्थी/वादी ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं, वह दस्तावेज भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के प्रावधानांतर्गत विरचित राजस्व दस्तावेज हैं और इसी अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानांतर्गत राज्य की समस्त कृषि भूमि में राज्य का स्वामित्व होना उपबंधित किया गया है जब तक कि राज्य अपनी भूमि का स्वत्व किसी प्रायवेट व्यक्ति को विक्रय, विनिमय या दान के रूप में या इसी अधिनियम के प्रावधानांतर्गत पक्के कृषक या सेवा भूमि आदि के रूप में विधि के अधीन स्वत्व अंतरण नहीं कर दे, तब तक राज्य की यह भूमि समस्त अन्य व्यक्तियों की परिप्रेक्ष्य में राज्य के ही स्वामित्व की भूमि मानी जायेगी और भूमि पर लगान के रूप में देय धन राज्य और व्यक्ति के मध्य उस भूमि के संबंध में विशिष्ट पट्टे का सृजन होगा और पट्टा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 की परिभाषा अनुसार जहां कोई व्यक्ति स्वयं की भूमि को अन्य व्यक्ति को उपयोग करने के लिए सुपुर्द करता है और भूमि उपयोग बदले वह अन्य व्यक्ति भूमि के स्वामी को धन के रूप में या फसल के अंश के रूप में कोई चीज समय-समय पर या नियत कालिक अवधि में देने हेतु बाध्य होता है, तो दोनों के मध्य स्थापित हुआ यह संबंध पट्टे का संबंध होता है और पट्टे में भूमि का स्वत्व अंतरण नहीं होता।

18. पट्टे की उक्त व्यवस्था के अधीन ही कृषि भूमि पर देय लगान उस भूमि के मूल स्वामी अर्थात् राज्य को भूमि के उपयोग के बदले कृषक द्वारा दिया जाने वाला भाटक या प्रीमियम ही होता है और चूंकि यह विशिष्ट पट्टा होने से इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होकर राज्य के हित में यह संव्यवहार रजिस्ट्रेशन कराये जाने से मुक्त है, तब इस संव्यवहार के संबंध में **मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अधीन** बनाये गये भू अधिकार अभिलेख से इन दस्तावेजों में जो कि खसरा या किस्तबंदी खतौनी के रूप में मौजूद दस्तावेज हो सकते हैं, नामित व्यक्ति को भूमि में स्वामी नाते कोई अधिकार नहीं होता। यह दस्तावेज मात्र उस भूमि पर उस

दस्तावेज में नामित व्यक्ति के कब्जे मात्र को ही प्रकट करने वाले दस्तावेज होते हैं। तब ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष तथा अपील प्रक्रम पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज भी राजस्व दस्तावेज होने से स्वामित्व अंतरण दस्तावेज नहीं है और इन दस्तावेजों से वादी को कोई स्वामित्व भी प्राप्त नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वामित्व प्रमाणित नहीं मानकर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

19. जहां तक वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य होने तथा वन विभाग द्वारा उसे जबरन आधिपत्यच्युत किये जाने के तथ्य का प्रश्न है ? वादग्रस्त भूमि स्वयं के स्वामित्व की होने के तथ्य को प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य वादी की ओर से अभिलेख पर प्रकट नहीं की गयी है। वादी को राजस्व दस्तावेज के रूप में राज्य के राजस्व विभाग द्वारा खसरा पांच साला किस्तबंदी खतौनी, भू अधिकार ऋण पुस्तिका आदि में नाम इंद्राज करते हुए जो दस्तावेज प्रदत्त किये गये हैं, वह वादी को भूमि के स्वामी नाते नहीं, अपितु उस भूमि के उपयोगकर्ता नाते अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

20. राजस्व विभाग की भूमि को केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित **वन अधिनियम 1927 के अधीन** बनाये गये नियमों के अधीन किसी राज्य की विशिष्ट भूमि को चिन्हित कर अधिसूचना जारी करते हुए वन भूमि घोषित करने का तथा वन भूमि घोषित किये गये क्षेत्र को किसी अभ्यारण या नेशनल पार्क के रूप में या वन के रूप में घोषित करने का केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त है और राजस्व की भूमि में से वन भूमि को पैमाइश कर अलग करने की युक्ति के रूप में आधुनिक साधनों के रूप में जी.पी.एस. मैपिंग आदि पद्धति द्वारा भूमि की पैमाइश कर उसे सीमांकित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से अविधिपूर्ण नहीं है और जहां कोई भूमि राजस्व की भूमि से पृथक् करते हुए वन भूमि घोषित कर दी गयी है, तब उस भूमि पर पूर्व से ही लंबे समय से आधिपत्य रखने वाले व्यक्तियों को यदि उस भूमि से हट जाने हेतु विधि के अधीन सूचना पत्र प्रदत्त कर दिया गया है, तो यह प्रक्रिया विधि की वह सम्यक् प्रक्रिया है, जिसका पालन करते हुए वन भूमि से उस लंबे समय से आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति को आधिपत्यच्युत किया जा रहा है, तब इस प्रक्रिया का निलंबन किये जाने अथवा इसे रोके जाने हेतु विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 के अधीन व्यादेश देने से इंकार कर दिया जायेगा।

21. ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

22. उक्त परिस्थितियों में भी विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रार्थित व्यादेश नामंजूर करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं कर, वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधि अनुकूल मूल्यांकन कर, वाद नामंजूर कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.17 को पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं करने से उसकी

पुष्टि की जाती है, तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील नामंजूर की जाती है।

23. अपील का व्यय अपीलार्थी स्वयं वहन करते हुए प्रत्यर्थागण का व्यय भी वहन करेगी।

24. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो, आंकलन किया जाये।

25. उक्तानुसार अपील निराकृत की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया  
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर ,  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ,  
अशोकनगर (म.प्र.)  
दिनांक— 25.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश  
अशोकनगर (म.प्र.)